

कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 05.09.2018 को अपलोड किया जाए

भारत सरकार  
कार्मिक,लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  
कर्मचारी चयन आयोग

(वेबसाइट: [www.ssconline.nic.in](http://www.ssconline.nic.in) or [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in)>Notices>Others)

विज्ञापन संख्या:चरण-VI/2018/चयन पद

फाइल सं.15/7/2017-भर्ती मु.

अंतिम तिथि :30.09.2018

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" इस विज्ञप्ति के अनुबंध-I में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञप्ति के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट [www.ssconline.nic.in](http://www.ssconline.nic.in) or [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in)>Notices>others के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं। वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी।

3.(क) आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपरोक्त विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल है, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट: [www.ssconline.nic.in](http://www.ssconline.nic.in) or [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in)>Notices>others आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी।

3.(ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध क्षेत्र से संबंधित पदों की विभिन्न श्रेणियों और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों को देखते रहें। आयोग के नौ क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

| क्र. सं. | क.च.आ. क्षेत्र और क.च.आ. क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र                    | क्षेत्रीय कार्यालयों/ वेबसाइट का पता   |
|----------|---|--|
| 1        | मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/बिहार और उत्तर प्रदेश  | क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>21-23, लॉउदर रोड, इलाहाबाद,<br>उत्तर प्रदेश -211 002<br><b>(www.ssc-cr.org)</b>   |
| 2        | पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) /अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल      | क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल),<br>234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस मार्ग,<br>कोलकाता,<br>पश्चिम बंगाल -700020<br><b>(www.sscer.org)</b> |
| 3        | कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल                                       | क्षेत्रीय निदेशक (केरल कर्नाटक क्षेत्र),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन,<br>कोरमंगला, बेंगलुरु,<br>कर्नाटक-560034<br><b>(www.ssc.kk.kar.nic.in)</b>               |
| 4        | मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) /छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश  | उप निदेशक(म.प्र.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>जे-5, अनुपम नगर, रायपुर,<br>छत्तीसगढ़-492007<br><b>(www.sscmpr.org)</b>   |
| 5        | पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा | क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>हाउसफेड कॉम्प्लेक्स,<br>लास्ट गेट, बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय,<br>दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006<br><b>(www.sscner.org.in)</b>    |
| 6        | उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) /रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड                                   | क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>ब्लॉक संख्या 12,<br>सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,<br>नई दिल्ली -110003<br><b>(www.sscnr.net.in)</b>                                      |
| 7        | पश्चिमोत्तर उप- क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) /चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब       | उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>ब्लॉक नंबर 3, भूतल, केन्द्रीय सदन,<br>सेक्टर 9, चंडीगढ़-160009<br><b>(www.sscnwr.org)</b>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 8 | दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/<br>आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना                    | क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग,<br>डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नई,<br>तमिलनाडु -600006<br>( <a href="http://www.sscsr.gov.in">www.sscsr.gov.in</a> )   |
| 9 | पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षे.) /<br>दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा,<br>गुजरात और महाराष्ट्र | क्षेत्रीय निदेशक (प. क्षे.),<br>कर्मचारी चयन आयोग,<br>प्रथम तल, दक्षिण विंग,<br>प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई,<br>महाराष्ट्र- 400020<br>( <a href="http://www.sscwr.net">www.sscwr.net</a> ) |

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह भी दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा पत्राचार ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारी/सूचना के लिए आयोग(मु.) और कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।

4. पदों के ब्यौरे/विवरण इस विज्ञप्ति के अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(क) इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों/प्रयोक्ता विभागों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। मांगकर्ता कार्यालयों/प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

5. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

क.च.आ. : कर्मचारी चयन आयोग, मं: मंत्रालय, वि: विभाग, का: कार्यालय, आयु: आयु-सीमा, अ.यो. : अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै.: प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा.: अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ.: कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, सा: सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा. : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै. : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दि: दृष्टि दिव्यांग, ए.बां: एक बांह प्रभावित, ए.पै: एक पैर प्रभावित, दो.पै: दोनो पैर प्रभावित, आं.ब.: आंशिक बधिर, अ.दृ.: अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारी, ल.न. : लागू नहीं, अ.से.उ. : अन्य सेवारत उम्मीदवार ।

## 6. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो :

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा।

## 7. परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका।

- (i) देय शुल्क रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये)
- (ii) शुल्क का भुगतान केवल एसबीआई चालान के माध्यम से किया जा सकता है।
- (iii) किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।  
भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा।  
आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए।
- (iv) सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अजजा), शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों (शा.दि.) एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भूपूसै) को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।
- (v) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा **05.09.2018 से 30.09.2018** (1700 बजे) तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को दिनांक **03.10.2018** तक बैंक के कार्य-समय के भीतर एसबीआई की नामित शाखाओं में केवल भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना होगा, बशर्ते कि चालान आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख और समय से पहले अर्थात् 30.09.2018 (1700 बजे) तक बनाया गया हो।
- (vi) निर्धारित शुल्क भुगतान किए बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकरण के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए जाने वाले शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

**टिप्पणी-I:** जो अभ्यर्थी शुल्क भुगतान से मुक्त नहीं हैं, वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका शुल्क क.च.आ. में जमा किया गया है। यदि क.च.आ. में शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखायी जाती है और यह जानकारी आवेदन पत्र के शीर्ष पर मुद्रित होती है। इसके अतिरिक्त, [www.ssconline.nic.in](http://www.ssconline.nic.in) पर प्रदान की गई टैब 'यहां अपने आवेदन की स्थिति जांचें' पर स्थिति की जांच की जा सकती है। इस तरह के आवेदन जो शुल्क की प्राप्ति न होने के कारण अधूरे रहते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा की विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क के भुगतान पर विचार करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

ii) अभ्यर्थी नोट करें कि केवल [www.ssconline.nic.in](http://www.ssconline.nic.in) or [www.ssc.nic.in/Notices/others](http://www.ssc.nic.in/Notices/others) पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें। किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

iv) ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-I(क) में दी गई है।

v) अति महत्वपूर्ण :- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।

vi) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है।

9. अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट अर्थात् [www.ssconline.nic.in](http://www.ssconline.nic.in) or [www.ssc.nic.in/Notices/others](http://www.ssc.nic.in/Notices/others) के माध्यम से दिनांक 05.09.2018 से 30.09.2018 (1700 बजे) तक जमा किए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान बैंक के

कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाओं में 03.10.2018 तक किया जा सकता है, बशर्ते कि चालान को आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख और समय से पहले अर्थात् 30.09.2018 (1700 बजे) तक बनाया गया हो।

10. अनिवार्य योग्यता(अ.यो) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

(i) संबंधित प्रयोक्ता विभागों और मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के बारे में इस विज्ञप्ति के अनुबंध-1 में दिए गए पद(पदों) के ब्यौरे/ विवरण में उल्लेख किया गया है।

(ii) आयु सीमा और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि 01.08.2018 होगी।

(iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं।

(iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जब इस आयोग द्वारा इसे मांगा जाए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(vi) ऐसे पद(पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।

**टिप्पणी:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए। तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :-

पद (पदों) की विशिष्ट श्रेणी के लिए आयु-सीमा का अनुबंध-1 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है।

**(क) आयु का प्रमाण**

आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

**(ख) ऊपरी आयु-सीमा में छूट:**

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :  
आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 और 12.1 में यथोचित ब्यौरे/श्रेणी कोड का उल्लेख करना अपेक्षित होगा।

'श्रेणी कोड', 'श्रेणी' तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 10 में यथा-उल्लिखित 'ऊपरी' आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट' नीचे दी गई है :-

गणना की तिथि(अर्थात 01.08.2018) को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड के साथ साथ ऊपरी आयु सीमा में अनुमत्य छूट निम्नानुसार है :-

| आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड | श्रेणी  | ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट                  |
|--|---|--|
| 01.  | अजा/अजजा  | 05 वर्ष  |
| 02.  | अपिव  | 03 वर्ष  |
| 03.  | शा दि   | 10 वर्ष  |
| 04.  | शा दि +अपिव   | 13 वर्ष  |
| 05.  | शा दि+ अजा/अजजा   | 15 वर्ष  |
| 06.  | भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)  | अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष |
| 07   | अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर,1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों।   | 5 वर्ष   |
| 08.  | <u>केवल समूह 'ग' पदों के लिए</u> जो कि उसी पंक्ति अथवा संबद्ध संवर्गों में हैं।<br>केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो             | 40 वर्ष की आयु तक  |
| 09.  | <u>केवल समूह 'ग' पदों के लिए</u> जो कि उसी पंक्ति अथवा संबद्ध संवर्गों में हैं।<br>केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो | 45 वर्ष की आयु तक  |
| 10.  | <u>केवल समूह 'ग' पदों के लिए</u><br>विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो   | 35 वर्ष की आयु तक  |
| 11.  | <u>केवल समूह 'ग' पदों के लिए</u><br>विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त  | 40 वर्ष की आयु तक  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)   |   |
| 12. | किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक                                     | 03 वर्ष   |
| 13. | किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)                          | 08 वर्ष   |
| 14. | सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क  | 45 वर्ष की आयु तक   |
| 15. | सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क(अजा/अजजा)  | 50 वर्ष की आयु तक   |
| 16. | भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छोटे गए जनगणना कर्मचारी(उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा) | 3 वर्ष+ छंटाई से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा दी गई सेवा की अवधि और पूर्व सेवा लाभ |

**टिप्पणी : 1** - आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें उसी सीमा तक आयु में छूट प्राप्त होगी, जो कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

**टिप्पणी : 2** - ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें उनके लिए यथा-लागू सही आयु छूट कोड को भरना अपेक्षित होगा।

12. **शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें**  
**क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए**

**शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-II) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी उप जातियां/समुदाय, अजा और अजजा श्रेणी के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

**ख. अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए**

i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-III) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की

अंतिम तिथि होगी। अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/ भूपूसै /शा.दि.(शा.दि.) दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित किया जा सकता है।

ii. इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि(अर्थात 30.09.2018) को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा।

ग. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग/अन्य) आवेदकों के लिए :

शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों(शा.दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख अनुबंध-1 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं।

- i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40 % अथवा अधिक है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।
- ii. उन्हें जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप [परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)/( प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV)] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुरोध।

क. जैसा कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा अस्थि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग श्रेणियों के अलावा, इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं।

तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यक्षीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण)(पैरा 2.2) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

| क्रम संख्या | दिव्यांगता की किस्म  | पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी |
|-------------|--|---|
| (क)         | दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि  | दृष्टि दिव्यांग   |
| (ख)         | बधिर एवं कम सुनने वाला   | श्रवण दिव्यांग  |
| (ग)         | प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता। | अस्थि दिव्यांग  |
| (घ)         | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।   | अन्य  |
| (ङ)         | बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं                                      |   |

ख. चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले **दृष्टि दिव्यांग(दृ.दि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो। प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक **ब्रेल** में मुहैया नहीं कराए जाएंगे। दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना **टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट** ला सकते हैं। परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, वे अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के अलावा) जिन्हें गति विषयक दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) है, जिसमें मुख्य लेखन अग्रांग इस हद तक प्रभावित है कि इससे अभ्यर्थी के कार्य करने की गति में कमी आ जाती है। (ऐसी कमी का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए डाक्टरी प्रमाण-पत्र में हो।) ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा में प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं और प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया गया हो।

ग. **अतिरिक्त समय का प्रावधान :** दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों और उपरोक्त पैरा 12(घ) (ख) में यथा उल्लिखित चालन संबंधी दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी। एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

ड. भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश।

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V(क)] के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) आरक्षण इत्यादि के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।

अथवा

उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में उल्लेखानुसार आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

(iii) वर्तमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों की रिक्तियां आरक्षित हैं।

(च) भूतपूर्व सैनिक : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; अथवा

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार

पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा।

**इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष पूरे करने पर भारतीय सैन्य शिक्षा सेवा का मानद स्नातक विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाण पत्र समूह 'ख' पदोंके लिए मान्य नहीं है।**

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.ज्ञा.संख्या 36034/6/90-स्था. एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों

के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

**(ज) केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश**

(i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तब तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।

(ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, **दस्तावेजों के सत्यापन** के समय वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

**टिप्पणी:-**अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग को उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

**13. दस्तावेजों का सत्यापन**

क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपने ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तांकों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै-विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है।

ख. वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/शा.दि. (पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/दस्तावेज/अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो नियमानुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

#### 14. आवेदन-पत्र को निरस्त/रद्द करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदकों के आवेदन-पत्र/अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/रद्द की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, (मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर (पूर्ण, अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ फोटोग्राफ और स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की स्थिति में,
- iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर
- vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,
- vii. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा मांगे जाने पर शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/ अजजा/अपिव/ शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै/सीजीसीई] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों को प्रस्तुत न करने पर,
- viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी न होने की स्थिति में,
- ix. विषय तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना
- x. संगत दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना
- xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,
- xii. अन्य कोई भी अनियमितता के कारण
- xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना
- xiv. आवेदन प्रपत्र का वह प्रिंट आउट प्रस्तुत न करने पर, जिस पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और वही फोटो चिपकाया गया हो, जो ऑनलाइन आवेदन भरते समय प्रयुक्त किया गया हो।
- xv. परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-23 में दिए गए कदाचारों में किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।

**टिप्पणी :** अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य संसूचना यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से, आपराधिक प्रक्रियाएं शुरू किए, वंचित कर दिया जाएगा।

#### 15. चयन प्रक्रियाएं :-

- क) चयन पदों के लिए भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रणाली में लिखित परीक्षा के जरिए की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे।

- ख) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित प्रणाली में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिनके ऑनलाइन आवेदन सुव्यवस्थित\* पाए जाएंगे।
- ग) जिन आवेदनों में फोटोग्राफ धुंधले होंगे/ नही होंगे, हस्ताक्षर धुंधले होंगे/नहीं होंगे, एक ही पद के लिए दोहरे आवेदन/शुल्क प्राप्ति नहीं/अपूर्ण आवेदन/इत्यादि होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
- घ) आयोग को परीक्षा की स्कीम में परिवर्तन करने का अधिकार है।
- ङ) प्रवेश-पत्र क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर परीक्षा के आरम्भ होने की तारीख से 07(सात) दिन पहले अपलोड किया जाएगा।
- च) जो अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं/ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं /एक ही क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों(मैट्रिकुलेशन, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर) के पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे समान अभ्यर्थी हैं। ऐसे समान अभ्यर्थियों को सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सभी पदों के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- छ) समान अभ्यर्थियों को भर्ती के इस चरण में एक स्तर के पद के लिए एक ही बार परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने दो स्तर अर्थात मैट्रिकुलेशन और उच्चतर माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन किया है, तो उसे प्रत्येक स्तर की परीक्षा के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में उस स्तर के पद(पदों) के लिए मेरिट-सूची तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- ज). कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के पश्चात अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आपत्तियां, यदि कोई हैं, मांगने के लिए मुख्यालय द्वारा आयोग की वेबसाइट पर विशिष्ट अवधि (न्यूनतम तीन दिन)के लिए अनंतिम उत्तर कुंजियां अपलोड की जाएगी।
- झ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे :-  
**अ.ना. - 35 %**  
**अ.पि.व - 30%**  
**अन्य श्रेणियां 25 %**
- ञ) क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यर्थियों से पदों की श्रेणी विशेष की रिक्तियों के अनुसार केवल निम्नलिखित अनुपात में ऑनलाइन आवेदन की हार्डकापी और उसके साथ समर्थनकारी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज मंगाएंगे।  
**(क) पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 तक की रिक्तियों के लिए 1:20 के अनुपात में।**  
**(ख) पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 से अधिक, न्यूनतम 100 के अध्यधीन रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में।**
- ट) पदों के किसी श्रेणी के लिए कौशल परीक्षा जहाँ कहीं भी निर्धारित की गयी हो, उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनके दस्तावेजों की हार्ड कापी जांच के स्तर पर आयोग के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त की गयी हो और वह सुव्यवस्थित हो।
- ठ) क्षेत्रीय कार्यालय पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अध्यधीन, पद की श्रेणी विशेष के लिए दस्तावेज सत्यापन(डीवी) हेतु अपेक्षित संख्या (1:10 के अनुपात में) अभ्यर्थियों को बुलाएगा।

- ड) जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती चरण में एक ही स्तर(उदाहरणार्थ मैट्रिकुलेशन) एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए दस्तावेज सत्यापन एक ही बार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन उस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाएगा, जहां उसने कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा दी है।
- ढ) अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात उनके मूल दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गयी सूचना गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता के ऐसे निरस्तीकरण के संबंध में किसी अपील या अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना दी है।
- ण) अभ्यर्थी के अंतिम प्राप्तांक पद की श्रेणी विशेष के लिए अंतिम परिणाम घोषित करते समय संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ही प्रकट/उपलब्ध कराए जाएंगे।

## 16. परीक्षा की रूपरेखा

- i) जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन, उच्च माध्यमिक तथा स्नातक और उससे ऊपर के स्तर की है, उनके लिए तीन अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें वस्तुपरक/बहु विकल्पीय चयन वाले प्रश्न होंगे। विषय के ब्योरे, अंकों और विषय-वार प्रश्नों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

| विषय  | प्रश्नों की संख्या | न्यूनतम अंक | कुल अवधि/समय  |
|---|--------------------|-------------|---|
| सामान्य बुद्धिमत्ता                             | 25                 | 50          | 60 मिनट(कुल)  |
| सामान्य जानकारी                                 | 25                 | 50          | दृ.दि./अ.दि.(प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और चालन संबंधी दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट जिसमें प्रमुख लेखन अंग इस सीमा तक प्रभावित होता है कि इसमें अभ्यर्थियों का लेखन धीमा होता जाता है)। (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ग) व (घ) देखें) |
| परिमाणात्मक अभिरूचि<br>(प्रारंभिक अंकगणित कौशल) | 25                 | 50          |   |
| अंग्रेजी भाषा<br>(प्रारंभिक अंकगणित कौशल)       | 25                 | 50          |   |

टिप्पणी-I: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे।

टिप्पणी-II : आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी वार संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के प्रत्येक घटक में विभिन्न न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

परीक्षा के आयोजन के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर अनंतिम उत्तर कुंजियां प्रस्तुत की जाएंगी। अभ्यर्थी अपने परीक्षा प्रारूप से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं और अनंतिम उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा दी गयी समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हैं, तो 100/-रु. प्रति उत्तर के भुगतान पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दे सकते हैं। अनंतिम उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसके पश्चात उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ii) लिखित परीक्षा के लिए संकेतक पाठ्यक्रम

(क) मैट्रिकुलेशन स्तर

**सामान्य बुद्धिमत्ता :** इसमें गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, आंकड़े वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषण क्रियाओं के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।

**सामान्य जानकारी :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारतीय संविधान व वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि सहित और भारत व उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

**परिमाणात्मक अभिरूची :** इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, सारणियों और ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

**अंग्रेजी भाषा :** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा के पारंपरिक ज्ञान, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इनके सही प्रयोग की समझ और उसकी लेखन योग्यता की जांच की जाएगी।

**टिप्पणी :** जिन दृ.दि. अभ्यर्थियों की 40 % और उससे अधिक दृष्टि दिव्यांगता है और प्रलिपिक का विकल्प देते हैं, उनके लिए सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी पेपर में मानचित्र/ ग्राफ/ रेखाचित्र/ सांख्यिकीय आंकड़ों से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे।

(ख) 10+2(उच्चतर माध्यमिक) स्तर :

**सामान्य बुद्धिमत्ता :** इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, अनुमान लगाना, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित आंकड़ें, अंकीय/आकृतिक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच,

समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाएं।

**सामान्य जानकारी :** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

**संख्यात्मक अभिरुचि :**

**अंकगणित:** संख्या प्रणाली : पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, व्याज(साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य । **बीजगणित:** स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र । **रेखागणित :** प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय : त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा **क्षेत्रमिति:** त्रिकोण, चतुर्भुज,नियत बहुभुज,वृत्त, सम प्रिज्म ,सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड । **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति ,त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता आदि। **सांख्यिकीय चार्ट :** तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग : आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन,दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट

**अंग्रेजी भाषा :** त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रुपान्तरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ ।

**टिप्पणी :** 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता तथा प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/संख्यात्मक अभिरुचि प्रश्न पत्र में मानचित्र/ ग्राफ/ आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे ।

**(ग) स्नातक एवं उससे ऊपर के स्तर :**

**सामान्य बुद्धिमत्ता :** इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इसमें विषय हैं : अर्थगत समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े

संबंधी वर्गीकरण, अर्थगत श्रृंखला, अंक श्रृंखलाएं , आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलोजेशन, वेन आरेख, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा यदि हों, तो अन्य उप विषय ।

**सामान्य जानकारी :** पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच किए जाने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन संबंधी मामलों की जानकारी एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

**परिमाणात्मक अभिरूची :** इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के संबंध में उसके बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , भिन्नों और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊर्चाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

**अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की सही समझ, उसके मूल परिज्ञान और लेखन की योग्यता को जाँचा जाएगा ।

क,ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग-ग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे ।

iii) . कौशल परीक्षाएं, जैसे- टंकण/डाटा एंट्री/कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आदि, जहाँ अनिवार्य अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं, आयोजित की जाएंगी जोकि अर्हक प्रकृति की होगी ।

iv). कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कार्य-निष्पादन के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी ।

## 17. बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में, निम्नलिखित मानदंडों को दिए गए अनुक्रम में क्रियान्वित करके, जब तक कि बराबरी(टाई ) का मामला हल न हो जाए, बराबरी के मामलों का निपटान किया जाएगा :

- i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक
- ii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में अंक
- iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में अंक
- iv) जन्म तिथि के आधार पर अर्थात् आधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- v) नाम का वर्णानुक्रम(प्रथम नाम पहले)।

18. महत्वपूर्ण टिप्पणी: चयन पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा केवल क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय (मु.)/ शहरों/ केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. नियुक्ति के लिए संस्तुति

- i. आयोग को अभ्यर्थियों की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/ भू.पू.सै./ सामान्य (अना) के लिए, जहाँ भी लागू हो, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/ कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
- ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहाँ भी लागू हो, आयोग कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्याधीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।
- iii. अजा., अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों, जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई है तो उसे योग्यता सूची में कम स्थिति वाले पात्र अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।
- iv. शा.दि(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शार्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति के लिए संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
- v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग जन) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
- vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि। अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है, आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।
- vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/ दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016 –स्था. (ख) के तहत जारी निर्देशों के साथ पठित दिनांक 19.07.2017 के उत्तरवर्ती का.ज्ञा. के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को नेशनल करियर सर्विस(एन.सी.एस.) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात अंतिम परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक -अंकों, रैंकिंग के अलावा अभ्यर्थी का नाम, अभिवाक/ पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष/ महिला), अर्हक परीक्षा के कुल अंक, ई-मेल पता सहित संपूर्ण पता उपरोक्त पोर्टल अर्थात एन सी एस पर प्रदर्शित किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने का विकल्प रहेगा।

21. जिस व्यक्ति ने:

- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

22. **अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य**

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

23. **कदाचार के लिए अभ्यर्थियों पर किए जाने वाले जुर्माना/परीक्षा से वारित करना**

अभ्यर्थियों को यदि परीक्षा के आयोजन के दौरान नीचे दिए गए कदाचार की सूची के किसी भी चरण में लिप्त पाया जाता है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दिया जाएगा तथा उन्हें आयोग की परीक्षाओं से निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा :-

| क्रम संख्या | कदाचार के प्रकार   | वारित करने की अवधि |
|-------------|--|--------------------|
| 1           | परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा हॉल से परीक्षा से संबंधित किसी | 2 वर्ष             |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
|     | भी सामग्री को अर्थात ओएमआर पुस्तिका, रफ-शीट, प्रवेश प्रमाण पत्र की आयोग की प्रति उत्तर पुस्तिका इत्यादि अपने साथ उठाकर ले जाना अथवा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को देना । |        |
| 2.  | परीक्षा पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के प्रतिनिधियों इत्यादि को किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार करना, उन्हें धमकाना अथवा डराना     | 3 वर्ष |
| 3.  | परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुँचाना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना   | 3 वर्ष |
| 4.  | गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, सामग्रिक सूचना को छुपाना, जाली दस्तावेज जमा इत्यादि करना ।  | 3 वर्ष |
| 5.  | अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना   | 3 वर्ष |
| 6.  | अपने पास मोबाइल फोन 'खुला' अथवा बन्द स्थिति में रखना  | 3 वर्ष |
| 7.  | नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना   | 3 वर्ष |
| 8.  | ऐसा अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामले को देख रहा है  | 3 वर्ष |
| 9.  | परीक्षा से संबंधित आधारीक संरचना/उपकरणों को क्षति पहुँचाना  | 5 वर्ष |
| 10. | जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाणपत्र इत्यादि सहित परीक्षा में शामिल होना  | 5 वर्ष |
| 11. | परीक्षा के दौरान अपने पास आग्नेय अस्त्र/हथियार पाए जाने पर  | 5 वर्ष |
| 12. | परीक्षा के पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के प्रतिनिधियों इत्यादि पर हमला, बल प्रयोग, शारीरिक क्षति पहुँचाना                       | 7 वर्ष |
| 13. | हथियार/आग्नेय अस्त्र से परीक्षा पदाधिकारियों को धमकाना/डराना  | 7 वर्ष |
| 14. | परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना जैसे किसी कागज अथवा शरीर के अंग इत्यादि से लिखित सामग्री से नकल करना जैसे अप्राधिकृत साधन                                | 7 वर्ष |
| 15. | परीक्षा हॉल में अपने पास ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा तथा किसी अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का पाया जाना   | 7 वर्ष |
| 16. | किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना ।   | 7 वर्ष |
| 17. | प्रश्न पत्र अथवा परीक्षा सामग्री, प्रयोगशाला इत्यादि का स्नेपशॉट, वीडियो बनाने पर   | 7 वर्ष |
| 18. | परीक्षा टर्मिनल को रिमोट डेस्कटॉप साफ्टवेयर/एप्स/एलएएन/वीएएन इत्यादि के माध्यम से सांझा करने पर   | 7 वर्ष |
| 19. | परीक्षा से पहले, उसके दौरान अथवा बाद में किसी भी स्थिति में परीक्षा सर्वर, डाटा तथा परीक्षा प्रणाली को हेक अथवा उसमें हेर-फेर करने का प्रयास करना                     | 7 वर्ष |

## 24. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

## 25. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

## 26. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहाँ से अभ्यर्थी परीक्षा (परीक्षाओं) में बैठा है।

| क्र.सं. | परिशिष्ट सं.    | जाति/समुदाय/श्रेणी  | सक्षम प्राधिकारी                  |   |
|---------|-----------------|---|-----------------------------------|---|
| 1.      | परिशिष्ट-I(क)   | ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश |                                   |   |
| 2.      | परिशिष्ट-II     | अ.जा/अ.ज.जा.  | i                                 | जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट। |
|         |                 |   | ii                                | मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट  |
|         |                 |   | iii                               | कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी   |
|         |                 |   | iv                                | उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।   |
|         |                 |   | टिप्पणी:                          | तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।   |
| 3.      | परिशिष्ट-III    | अपिव  | जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त इत्यादि। |   |
| 4.      | परिशिष्ट-IV     | सीजीसीई   | कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान |   |
| 5.      | परिशिष्ट-IV (ए) | ईए/सीजी सीई   | स्वयं आवेदक                       |   |
| 6.      | परिशिष्ट-V      | भूपूसै  | कमान अफसर                         |   |
| 7.      | परिशिष्ट-V (ए)  |   | स्वयं आवेदक                       |   |
| 8.      | परिशिष्ट-VI     | फार्म-II  | दिव्यांग व्यक्ति                  | चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/ मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  |
|         |                 | फार्म-III   |                                   |   |
|         |                 | फार्म-IV  |                                   |   |

**आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/ अनुदेश तथा अभ्यर्थियों के लिए सामान्य महत्वपूर्ण अनुदेश**

1. अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
2. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना चाहिए।
3. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फार्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।
5. पंजीकरण फार्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें।
6. पंजीकरण फार्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
7. हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ फाइल का डिजिटल आकार 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए।
8. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
9. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
10. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में लॉग-ईन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।
11. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
12. यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए 'एकबारगी पंजीकरण' डाटा के फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इत्यादि में कोई विसंगति हो तो ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उस 'एकबारगी पंजीकरण' डाटा में उपयुक्त रूप से परिवर्तन किए जा सकते हैं। आयोग पंजीकरण के बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग तथा मैट्रिकूलेशन अनुक्रमांक आदि में केवल एक बार संशोधन करने की अनुमति देता है। अतः इन खानों को बेहद सावधानी से भरा/ परिवर्तन किया जाए। 'एकबारगी पंजीकरण' के अन्य खानों में परिवर्तन प्रत्येक परीक्षा से पहले एक बार किया जा सकता है। परंतु यह परीक्षा का आवेदन जमा करने से पहले करना होगा। ऐसा परिवर्तन आवेदन पत्र जमा करने से पहले स्वीकार्य होगा। एक बार आवेदन जमा कर दिया गया है तो 'एकबारगी पंजीकरण' और आवेदन डाटा में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

13. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 05.09.2018 से 30.09.2018 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से बैंक के कार्य समय के भीतर दिनांक 03.10.2018 तक भुगतान करना अपेक्षित है, बशर्ते कि चालान दिनांक 30.09.2018 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो।
14. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी पररिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
15. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
16. जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगा। आगे की स्थिति को <http://www.ssconline.nic.in> पर प्रदान किए गए टेब " Check Your Application Status Here" में सत्यापित की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनका शुल्क भुगतान न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण रहता है, को सरसरी तौर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख किए अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा जब भी आयोग के ध्यान में आए उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
18. आवेदन जमा करने की तिथि को उपलब्ध मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में यथा अभिलेखित जन्म तिथि को ही केवल जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
19. उक्त परीक्षा के लिए कोई भी प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है।
20. अति महत्वपूर्ण :- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\*.....  
 पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा\*  
 ..... जिला/संभाग\*.....राज्य/संघ राज्य  
 क्षेत्र\*.....के .....  
 जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....  
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\* .....  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951\*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....  
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959  
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962  
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@  
 संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@  
 संविधान(अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* .....के माता/पिता  
श्री/श्रीमती.....निवासी  
ग्राम/कस्बा\*.....

.....जिला/संभाग\*.....राज्य/संघ  
राज्य क्षेत्र\*.....को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति  
प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो .....जाति/जनजाति से संबंधित हैं  
जो.....दिनांक.....द्वारा जारी .....  
.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या\* उनका परिवार सामान्यतः  
ग्राम/कस्बा\*.....जिला/संभाग\*.....राज्य/संघ राज्य  
क्षेत्र.....में रहता है।

हस्ताक्षर.....

\*\*पदनाम.....

स्थान.....

दिनांक.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

\*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**\*\*जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....  
 पुत्र/पुत्री ..... ग्राम ..... जिला/संभाग  
 .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ..... समुदाय से  
 संबंधित हैं जो दिनांक-----संकल्प सं.-----सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के  
 अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०.....तथा/या उनका परिवार सामान्यतः  
 .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .....  
 जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय  
 ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993\*\* की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित  
 व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

मुहर की मुहर :

जिलाधीश या उपायुक्त आदि।

\*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा  
 जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

\* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की  
 धारा 20 में दिया है।

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला  
प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 12(ज) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि \*श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो \_\_\_\_\_ रू. के वेतनमान में \_\_\_\_\_ के पद पर कार्यरत रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक .....को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम एवं पदनाम \_\_\_\_\_

कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_

स्थान:

दिनांक:

(\* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12(ज) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ :

नियुक्ति की तिथि .....

वर्तमान धारित पद तथा वेतनमान .....

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित कर्मचारी का नाम व पता :.....

स्थान तथा दिनांक:

\*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र  
 (संगठन के पत्र शीर्ष पर)  
 (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 12 (ड) तथा(चा) देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार

..... (नंबर).....(रैंक)  
 .....(नाम).....(दिनांक).....को  
 सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

**भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र**

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूँगा/ हूँगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ :

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि \_\_\_\_\_
- ख) कार्यमुक्ति की तिथि \_\_\_\_\_
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि \_\_\_\_\_
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर \_\_\_\_\_
- ड) पुनःनियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई हो.....

\*(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

निःशक्तता प्रमाण पत्र  
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधापन के मामले में)  
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्रसं.....  
दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-  
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----  
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म.व.)  
.....पुरुष/महिला----- पंजीकरण संख्या.....

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही  
का पासपोर्ट आकार का  
अनुप्रमाणित फोटो (केवल  
चेहरे का)

स्थायी आवास मकान नं..... वार्ड/गांव/गली .....  
डाकघर.....जिला.....राज्य ..... की  
सावधानीपूर्वक जांच की है।

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में .....निदान किया गया है।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने .....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में  
.....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

| दस्तावेज का स्वरूप | जारी करने की तिथि | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा |
|--------------------|-------------------|--|
|                    |                   |  |

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के  
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के  
हस्ताक्षर/अंगूठे की  
छाप जिसके लिए  
निःशक्तता प्रमाणपत्र  
जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र  
(बहु विकलांगता के मामले में)  
(नियम 4 देखें)

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

प्रमाणपत्रसं.....

दिनांक.....

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --  
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म.व.)  
.....पुरुष/महिला----- पंजीकरण संख्या. ....स्थायी आवास  
मकान नं..... वार्ड/गांव/गली..... डाकघर.....  
.....जिला.....राज्य..... की सावधानीपूर्वक जांच की है,  
जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है। निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

| क्रम सं. | निःशक्तता           | शरीर के प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में) |
|----------|---------------------|----------------------|-------|--|
| 1.       | गति विषयक विकलांगता | @                    |       |  |
| 2.       | अल्प दृष्टि         | #                    |       |  |
| 3.       | नेत्रहीनता          | दोनों आँखें          |       |  |
| 4.       | श्रवण विकलांगता     | £                    |       |  |
| 5.       | मानसिक मंदता        | X                    |       |  |
| 6.       | मानसिक बीमारी       | X                    |       |  |

कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू न हो

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है: -



निःशक्तता प्रमाण पत्र  
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)  
(नियम 4 देखें)

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

प्रमाणपत्रसं.....  
दिनांक.....

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --  
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म.व.)  
.....पुरुष/महिला----- पंजीकरण संख्या. ....स्थायी आवास  
मकान नं.....वार्ड/गांव/गली..... डाकघर.....  
जिला.....राज्य..... की सावधानीपूर्वक जांच की है, जिनका ऊपर फोटो  
चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता के लिए (ब्योरा दिया जाए) दिशा  
निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है  
एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

| क्रम सं. | निःशक्तता           | शरीर के प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में) |
|----------|---------------------|----------------------|-------|--|
| 1.       | गति विषयक विकलांगता | @                    |       |  |
| 2.       | अल्प दृष्टि         | #                    |       |  |
| 3.       | नेत्रहीनता          | दोनों आँखें          |       |  |
| 4.       | श्रवण विकलांगता     | £                    |       |  |
| 5.       | मानसिक मंदता        | X                    |       |  |
| 6.       | मानसिक बीमारी       | X                    |       |  |

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .....वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... तक मान्य रहेगा।  
 तारीख                      माह                      वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

| दस्तावेज का स्वरूप | जारी करने की तिथि | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा |
|--------------------|-------------------|--|
|                    |                   |  |

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी स्थायी सेवक नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

## Annexure I

### SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS

[Click here for Post details](#)

| S.No | REGION | POST CODE | POST NAME  | ORGANISATION                                   | MIN. EDUC. QUALIFICATION | VACANCIES                        | Gr pay/ pay matrix                    |
|------|--------|-----------|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | CR     | 10218     | JUNIOR PHYSIOTHERAPIST                               | Directorate General of Medical Services (Army) | Graduation               | 9 (UR-5, SC-2, OBC-2)            | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 2    | CR     | 10318     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {ARMAMENT-AMMUNITIONS}        | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 16 (UR-9, SC-2, ST-1, OBC-4)     | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 3    | CR     | 10418     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {ARMAMENT-WEAPONS}            | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 1 (UR-1)                         | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 4    | CR     | 10518     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {ARMAMENT-SMALL ARMS}         | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 2 [(UR-1, SC-1), (OH-1)]         | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 5    | CR     | 10618     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {ARMAMENT-INSTRUMENTS}        | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 9 (UR-5, SC-2, OBC-2)            | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 6    | CR     | 10718     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) M&E{METALLURY}                | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 14 (UR-6, SC-3, ST-1, OBC-4)     | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 7    | CR     | 10818     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) STORE {Gentex}                | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 5 (UR-2, SC-1, ST-1, OBC-1)      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 8    | CR     | 10918     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {Electronics}                 | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 16 [(UR-8, SC-3, OBC-5), (HH-1)] | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 9    | CR     | 11018     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) ELECTRONICS { Radar & System} | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 9 (UR-5, ST-2, OBC-2)            | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 10   | CR     | 11118     | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {VEHICLE}                     | Directorate General of Quality Assurance       | Graduation               | 14 (UR-7, SC-5, OBC-2)           | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |    |       |  |   |            |                                |                                       |
|----|----|-------|--|---|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|    |    |       |  |   |            |                                | 4200                                  |
| 11 | CR | 11218 | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {COMBAT VEHICLE}              | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 11 (UR-7, SC-2, ST-1, OBC-1)   | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 12 | CR | 11318 | JUNIOR ENGINEER (Q.A.) {ENGINEERING EQUIPMENT}       | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 11 (UR-4, SC-2, ST-2, OBC-3)   | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 13 | CR | 11418 | SCIENTIFIC ASSISTANT-M&E{MILITARY EXPLOSIVE}         | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 17 (UR-9, SC-2, ST-1, OBC-5)   | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 14 | CR | 11518 | SCIENTIFIC ASSISTANT ,M&E {METALLURGY }              | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 6 (UR-3, SC-1, ST-1, OBC-1)    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 15 | CR | 11618 | SCIENTIFIC ASSISTANT , STORE {Chemistry}             | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 34 (UR-17, SC-3, ST-4, OBC-10) | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 16 | CR | 11718 | SCIENTIFIC ASSISTANT , STORE {GENTEX}                | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 37 (UR-18, SC-6, ST-4, OBC-9)  | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 17 | CR | 11818 | SCIENTIFIC ASSISTANT { ENGINEERING EQUIPMENT}        | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 1 (UR-1)                       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 18 | CR | 11918 | SCIENTIFIC ASSISTANT {VEHICLE}                       | Directorate General of Quality Assurance                                | Graduation | 1 (UR-1)                       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 19 | CR | 12118 | JUNIOR SEED ANALYST                                  | National Seed Research & Training Centre, Varanasi                      | Graduation | 1 (SC-1)                       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 20 | ER | 10118 | Junior Engineer (Quality Assurance) M&E [METALLURGY] | Defence Production  | Graduation | 1 (UR/HH-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 21 | ER | 10218 | Heraldic Assistant in History Division               | Ministry of Defence, Office of the JS & CAO,E-Block, Room No. 174, Dara | Graduation | 1 (UR/OH-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs.      |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |    |       |                                 |  |            |  |                                       |
|----|----|-------|---------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|
|    |    |       |                                 | Shukoh Road, New Delhi – 110011.   |            |  | 4200                                  |
| 22 | ER | 10318 | Investigator Grade-II           | Labour Bureau, M/o Labour & Employment, SCO 28-31, Sector-17-A, Chandigarh   | Graduation | 3 (UR-2 , SC-1)                                | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 23 | ER | 10418 | Botanical Assistant             | Botanical Survey of India, M/o Environment & Forests, CGO Complex, 3rd MSO Building, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-64  | Graduation | 31 (UR-17, SC-4, ST-2, OBC-8)                  | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 24 | ER | 10518 | Data Processing Assistant       | Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Directorate of Commerce, M/o Commerce and Industry, 565, Anandapur, Ward No.108, Plot-22, Sector-I, Kolkata-107 | Graduation | 48 [(UR-29, SC-11, ST-4, OBC-4), (OH-1, HH-1)] | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 25 | ER | 10618 | Library & Information Assistant | Botanical Survey of India, M/o Environment & Forests, CGO Complex, 3rd MSO Building, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-64  | Graduation | 9 (UR-7, SC-1, OBC-1)                          | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 26 | ER | 10718 | Fertilizer Inspector            | Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare   | Graduation | 2 (UR-2)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2800 |
| 27 | ER | 10918 | Jr. Physiotherapist             | Integrated Headquarter of M/o Defence (Army), Directorate General of Medical Services, New Delhi   | Graduation | 2 (UR-1, SC-1)                                 | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 28 | ER | 11118 | Sub-Editor (Hindi)              | Central Reference Library, M/o Culture, Alipore, Kolkata   | Graduation | 1 (UR-1)                                       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 29 | ER | 11218 | Sub-Editor (English)            | Central Reference Library, M/o Culture, Alipore, Kolkata   | Graduation | 1 (ST-1)                                       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 30 | ER | 11318 | Library Information Assistant   | Forest Survey of India, M/o Environment & Forests, Dehradun, Uttarakhand   | Graduation | 1 (UR-1)                                       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |     |       |  |  |            |                 |                                       |
|----|-----|-------|--|--|------------|-----------------|---------------------------------------|
| 31 | MPR | 10218 | Junior Physiotherapist                   | Dte Gen Medical Services(Army), DGMS-3(B), Room No. 83, 'L' Block(Near North Block) New Delhi-110001             | Graduation | 1 (ST-1)        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 32 | MPR | 10318 | Dietician Grade-III (Jr. Dietician)      | Dte. General of Medical Services (Army), DGMS-3 (B), Room No. 83, 'L' Block (Near North Block), New Delhi-110001 | Graduation | 2 (UR-1, ST-1)  | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 33 | MPR | 10418 | Senior Scientific Assistant (Toxicology) | Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services, Bhopal-462003(MP).                | Graduation | 1 (UR-1)        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 34 | NER | 10118 | Geographer                               | Directorate of Census Operations, RGI  | Graduation | 1 (OBC-1)       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 35 | NER | 10218 | Junior Physiotherapist                   | Directorate General of Medical Services  | Graduation | 2 (UR-2)        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 36 | NER | 10318 | Dietician Grade III                      | Directorate General of Medical Services  | Graduation | 2 (UR-1, OBC-1) | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 37 | NER | 10418 | Sr Instructor(Weaving)                   | Indian Institute of Handloom Technology  | Graduation | 1 (UR-1)        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 38 | NER | 10618 | Sr Hindi Typist                          | North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute   | Graduation | 1 (UR-1)        | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 39 | NER | 10818 | Sound Technician                         | Anthropological Survey of India  | Graduation | 1 (OBC-1)       | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 40 | NER | 10918 | Accountant                               | National Centre of Organic Farming   | Graduation | 1 (UR-1)        | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2800 |
| 41 | NR  | 10218 | Jr Physiotherapist                       | Defence  | Graduation | 6 (UR-4, OBC-2) | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs.      |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |    |       |  |  |            |                             |                                       |
|----|----|-------|--|--|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|    |    |       |  |  |            |                             | 4200                                  |
| 42 | NR | 10518 | Planning Assistant   | Town & Country Planning Organisation         | Graduation | 2 (UR-1, OBC-1)             | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 43 | NR | 10618 | Dietician Grade-III (Jr Dietician)   | Defence                                      | Graduation | 3 (UR-2, SC-1)              | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 44 | NR | 10718 | Technical Assistant (Economics)  | Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | Graduation | 2 [(UR-1, ST-1, (HH-1)]     | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 45 | NR | 10818 | Assistant (Printing)   | Legislative Department                       | Graduation | 3 (UR-2, OBC-1)             | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 46 | NR | 10918 | Senior Translator  | Official Language                            | Graduation | 8 (UR-4, SC-1, ST-1, OBC-2) | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4600 |
| 47 | NR | 11018 | Language Instructor (01 post Oriya & Bangali-OBC), (01 Post of Malayalam & Kannada and 01 Post of Tamil & Telugu-UR) | Personnel and Training                       | Graduation | 3 (UR-2, OBC-1)             | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4800 |
| 48 | NR | 11218 | Economic Investigator  | Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | Graduation | 2 (UR-1, OBC-1)             | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 49 | NR | 11318 | Senior Technical Assistant (Mass Education and Media)  | Health and Family Welfare                    | Graduation | 1 (UR-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 50 | NR | 11518 | Textile Designer   | Weaver's service centre                      | Graduation | 2 (UR-1, ST-1)              | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 51 | NR | 11618 | Technician   | Health and Family Welfare                    | Graduation | 10 (UR-4, SC-3, OBC-3)      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |    |       |  |  |            |  |                                       |
|----|----|-------|--|--|------------|--|---------------------------------------|
| 52 | NR | 11918 | Research Investigator (Forestry)                   | Ministry of Environment, Forest & Climate Change | Graduation | 3 (UR-2, ST-1)                         | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 53 | NR | 12018 | Research Assistant (Environment)                   | Ministry of Environment, Forest & Climate Change | Graduation | 5 (UR-3, OBC-2)                        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 54 | NR | 12118 | Laboratory Assistant                               | Health and Family Welfare                        | Graduation | 7 [(UR-5, SC-2) (ExS-2, HH-1)]         | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 55 | NR | 12218 | Junior Computer                                    | Central Water Commission                         | Graduation | 20 [(UR-9, SC-3, ST-1, OBC-7), (OH-1)] | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 56 | NR | 12418 | Library-cum-Information Assistant                  | Higher Education                                 | Graduation | 2 (UR-2)                               | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 57 | NR | 12518 | Section Officer (Horticulture)                     | Central Public Works Department                  | Graduation | 12 (UR-9, SC-3)                        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 58 | NR | 12718 | Research Assistant                                 | Defence  | Graduation | 1 (UR/OH-1)                            | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 59 | NR | 12918 | Junior Engineer (Naval Quality Assurance)-Chemical | Defence  | Graduation | 2 (UR-2)                               | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 60 | NR | 13118 | Assistant Drug Inspector (Medical Devices)         | Health and Family Welfare                        | Graduation | 15 (UR-9, SC-2, ST-1, OBC-3)           | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 61 | NR | 13218 | Library and Information Assistant                  | Ministry of Culture                              | Graduation | 5 (UR-3, SC-1, OBC-1)                  | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 62 | NR | 13318 | Senior Audio Visual Assistant                      | M/o Environment, Forest and Climate Change       | Graduation | 1 (UR-1)                               | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |     |       |  |   |            |   |                                       |
|----|-----|-------|--|---|------------|---|---------------------------------------|
| 63 | NR  | 14818 | Library and Information Assistant  | Defence   | Graduation | 11 [(UR-6, SC-1, ST-1, OBC-3), (OH-1)]        | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 64 | NR  | 14918 | Hindi Instructor   | Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie | Graduation | 1 (UR-1)                                      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4800 |
| 65 | NWR | 10118 | Senior Scientific Assistant(Biology)   | Central Forensic Science Laboratory                               | Graduation | 2 (UR-1, OBC-1)                               | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 66 | NWR | 10218 | Senior Scientific Assistant(Explosives)                                      | Central Forensic Science Laboratory                               | Graduation | 2 (SC-2)                                      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 67 | NWR | 10318 | Senior Scientific Assistant(Ballistics)                                      | Central Forensic Science Laboratory                               | Graduation | 1 (UR-1)                                      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 68 | NWR | 10418 | Dietician Grade-III  | Dte Gen Medical Services(Army)                                    | Graduation | 2 (UR-1, SC-1)                                | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 69 | NWR | 10518 | Junior Physiotherapist   | Dte Gen Medical Services(Army)                                    | Graduation | 6 (UR-4, ST-1, OBC-1)                         | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 70 | NWR | 10618 | Senior Technical Assistant(Chemical)   | Central Ground Water Board  | Graduation | 1 (UR-1)                                      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4600 |
| 71 | NWR | 10718 | Assistant Plant Protection Officer (Entomology/Nematology)                   | Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage            | Graduation | 23 [(UR-13, SC-3, ST-1, OBC-6), (OH-1, HH-1)] | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 72 | NWR | 10818 | Assistant Plant Protection Officer (Plant Pathology/ Virology/ Bacteriology) | Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage            | Graduation | 36 [(UR-23, SC-5, ST-2, OBC-6), (OH-1, HH-1)] | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 73 | NWR | 10918 | Assistant Plant Protection Officer (Weed Science)                            | Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage            | Graduation | 9 [(UR-5, SC-2, OBC-2), (OH-1, HH-1)]         | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |     |       |  |   |            |                             |                                       |
|----|-----|-------|--|---|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 74 | NWR | 11218 | Senior Technical Assistant (Hydrogeology)                  | Central Ground Water Board              | Graduation | 1 (UR-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4600 |
| 75 | NWR | 11318 | Senior Technical Assistant (GeoPhysics)                    | Central Ground Water Board              | Graduation | 3 (UR-3)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4600 |
| 76 | SR  | 10118 | JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT                                | Central Drugs Testing Laboratory        | Graduation | 1 (UR-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 77 | SR  | 10218 | SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (BALLISTICS)                   | Central Forensic Science Laboratory     | Graduation | 1 (UR-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 78 | SR  | 10318 | SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (PHYSICS)                      | Central Forensic Science Laboratory     | Graduation | 1 (ST-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 79 | SR  | 10418 | SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (CHEMISTRY)                    | Central Forensic Science Laboratory     | Graduation | 1 (OBC-1)                   | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 80 | SR  | 10518 | SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (BIOLOGY)                      | Central Forensic Science Laboratory     | Graduation | 2 (UR-2)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 81 | SR  | 10618 | SENIOR INSTRUCTOR (WEAVING)                                | Indian Institute of Handloom Technology | Graduation | 1 (UR-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 82 | SR  | 11118 | ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER (GRADE.I) DOCUMENTS | Central Forensic Science Laboratory     | Graduation | 1 (UR-1)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4600 |
| 83 | SR  | 11318 | TEXTILE DESIGNER   | Weavers Service Centre                  | Graduation | 2 (UR-2)                    | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 84 | WR  | 10218 | Investigator Grade - II                                    | Labour Bureau, Chandigarh               | Graduation | 5 (UR-2, SC-1, ST-1, OBC-1) | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|    |    |       |                                       |  |                         |                                   |                                       |
|----|----|-------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 85 | WR | 10318 | Draftsman Grade - I                   | Central Water and Power Research Station, Pune   | Graduation              | 9 [(UR-5, SC-1, OBC-3), (HH-1)]   | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 86 | WR | 10518 | Assistant Welfare Administrator       | Welfare Commissioner Ahmedabad   | Graduation              | 1 (UR-1)                          | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 87 | WR | 10718 | Research Assistant (Computer Science) | Central Water and Power Research Station, Pune   | Graduation              | 1 (SC-1)                          | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4600 |
| 88 | CR | 10118 | PHOTOGRAPHER                          | Weavers Service Centre, Development Commissioner for Handlooms                                     | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                          | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 89 | CR | 12018 | ASSISTANT MAP CURATOR                 | Joint Secretary (Trg) & CAO  | Higher Secondary (10+2) | 5 [(UR-3, ST-1, OBC-1), (OH-1)]   | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 90 | CR | 12218 | LABORATORY ASSISTANT                  | National Centre for Organic Farming, Ghaziabad   | Higher Secondary (10+2) | 1 (SC-1)                          | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 91 | ER | 11018 | Technical Clerk (Economics)           | Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare   | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                          | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 92 | ER | 11418 | Deputy Ranger                         | Forest Survey of India, M/o Environment & Forests, Dehradun, Utrakhand                             | Higher Secondary (10+2) | 1 (OBC-1)                         | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 93 | ER | 11518 | Assistant Store Keeper                | Central Ground Water Board, M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Faridabad | Higher Secondary (10+2) | 14 [(UR-7, SC-2, OBC-5), (ExS-1)] | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 94 | ER | 11718 | Foreman                               | Central Ground Water Board, M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Faridabad | Higher Secondary (10+2) | 13 (UR-7, SC-2, ST-1, OBC-3)      | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 95 | ER | 12018 | Laboratory Attendant                  | Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare   | Higher Secondary        | 1 (UR-1)                          | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs.      |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|     |     |       |  |  |                         |  |                                       |
|-----|-----|-------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------|
|     |     |       |  |  | (10+2)                  |  | 1800                                  |
| 96  | KKR | 10118 | NAVIGATIONAL ASSISTANT GRADE-II                  | Directorate of Light House & Light Ships     | Higher Secondary (10+2) | 6 [(UR-3, SC-1, ST-1, OBC-1), (OH-1)]          | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 97  | KKR | 10218 | STORE KEEPER-CUM-CARETAKER                       | National Museum of Natural History           | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 98  | KKR | 10918 | LABORATORY ASSISTANT                             | National Centre for Organic Farming          | Higher Secondary (10+2) | 2 (UR-2)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 99  | NER | 11018 | Laboratory Asst                                  | National Centre of Organic Farming           | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 100 | NR  | 10318 | Senior Library Attendant                         | School Education and Literacy                | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 101 | NR  | 10418 | Stockman   | Animal Husbandry, Dairying and Fisheries     | Higher Secondary (10+2) | 1 (SC-1)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 102 | NR  | 11118 | Draftsman Grade II (Renamed as Senior Draftsman) | Central Water Commission                     | Higher Secondary (10+2) | 45 [(UR-23, SC-7, ST-3, OBC-12), (OH-1, HH-1)] | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 103 | NR  | 11418 | Processing Assistant                             | Health and Family Welfare                    | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2800 |
| 104 | NR  | 11718 | Clerk (in Departmental Canteens)                 | Defence                                      | Higher Secondary (10+2) | 3 (UR-1, OBC-2)                                | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 105 | NR  | 11818 | Technical Assistant                              | Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | Higher Secondary (10+2) | 2 (UR-2)                                       | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2800 |
| 106 | NR  | 13018 | Data Entry Operator Grade                        | Agriculture, Cooperation                     | Higher Secondary        | 1 (OBC-1)                                      | PB-1 (Rs. 5200-                       |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|     |     |       |                                      |  |                         |   |                                       |
|-----|-----|-------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------------------|
|     |     |       | 'A'                                  | and Farmers Welfare  | (10+2)                  |   | 20200/-) + GP Rs.<br>2400             |
| 107 | NWR | 11018 | Junior Engineer                      | Central Ground Water Board   | Higher Secondary (10+2) | 4 (UR-3, SC-1)                            | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 108 | SR  | 10718 | LABORATORY ATTENDANT                 | Regional Fertiliser Control Laboratory   | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                                  | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 109 | SR  | 10818 | NAVIGATIONAL ASSISTANT GRADE II      | Directorate of Lighthouses and Lightships  | Higher Secondary (10+2) | 8 (UR-4, SC-1, ST-1, OBC-2)               | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 110 | SR  | 11018 | NAVIGATIONAL ASSISTANT GRADE II      | Directorate of Lighthouses and Lightships  | Higher Secondary (10+2) | 5 (UR-3, SC-1, OBC-1)                     | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 111 | SR  | 11218 | ASSISTANT (ARCHITECTURAL DEPARTMENT) | Central Public Works Department  | Higher Secondary (10+2) | 8 [(UR-4, SC-1, ST-1, OBC-2), (OH-1)]     | PB-2 (Rs. 9300-34800/-) + GP Rs. 4200 |
| 112 | WR  | 10118 | Stockman                             | Central Cattle Breeding Farm Surat   | Higher Secondary (10+2) | 1 (UR-1)                                  | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 113 | WR  | 10618 | Laboratory Assistant                 | National Centre of Organic Farming, Nagpur   | Higher Secondary (10+2) | 1 (OBC-1)                                 | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 114 | ER  | 10818 | Lady Medical Attendant               | Health and Family Welfare  | Matriculation           | 16 (UR-9, SC-2, OBC-5)                    | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 115 | ER  | 11618 | Technical Operator (Store)           | Central Ground Water Board, M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Faridabad | Matriculation           | 7 [(UR-5, ST-1, OBC-1), (ExS-1)]          | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 116 | ER  | 11818 | Medical Attendant                    | Health and Family Welfare  | Matriculation           | 36 [(UR-16, SC-5, ST-2, OBC-13), (ExS-5)] | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**

[Click here for Post details](#)

|     |     |       |                               |  |               |  |                                       |
|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|
| 117 | ER  | 11918 | Technical Operator (Drilling) | Central Ground Water Board, M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Faridabad | Matriculation | 69 [(UR-22, SC-32, ST-13, OBC-2), (ExS-7)]               | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 118 | KKR | 10318 | LABORATORY ATTENDANT          | National Centre for Disease control,(NCDC), DGHS   | Matriculation | 2 (UR-2)   | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 119 | MPR | 10118 | Technical Operator(Drilling)  | Central Ground Water Board, Bhujal Bhavan, NH-IV, Faridabad(Haryana)-121001                        | Matriculation | 51 [(UR-38, SC-3, OBC-10), (ExS-5)]                      | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 120 | NER | 10518 | Stenographer Gr III           | Directorate of Publication Division  | Matriculation | 1 (OBC-1)  | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 121 | NER | 10718 | Photo Artist                  | Anthropological Survey of India  | Matriculation | 1 (OBC-1)  | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2400 |
| 122 | NR  | 10118 | Junior Draftsman              | Health and Family Welfare  | Matriculation | 1 (UR-1)   | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 2800 |
| 123 | NR  | 12318 | Canteen Attendant             | Defence  | Matriculation | 111 [(UR-57, ST-12, OBC-42), (ExS-11, OH-2, HH-1, VH-1)] | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 124 | NR  | 12618 | Canteen Attendant             | Directorate General of Civil Aviation.   | Matriculation | 4 (UR-3, OBC-1)  | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1800 |
| 125 | NR  | 12818 | Library Clerk                 | M/o Civil Aviation   | Matriculation | 1 (UR-1)   | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 126 | NR  | 13418 | Filter Pump Driver            | Animal Husbandry, Dairying and Fisheries   | Matriculation | 1 (UR-1)   | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 127 | NWR | 11118 | Laboratory Attendant          | Central Research Institute, Kasauli  | Matriculation | 65 (UR-43, SC-7, ST-1,                                   | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs.      |

**SELECTION POSTS (PHASE VI): POSTS ARRANGED ACCORDING TO MINIMUM EQ AND REGIONS**[Click here for Post details](#)

|     |     |       |                               |                                     |               |  |                                       |
|-----|-----|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
|     |     |       |                               |                                     |               | OBC-14)                                  | 1800                                  |
| 128 | NWR | 11818 | Assistant Photographer        | Central Forensic Science Laboratory | Matriculation | 1 (OBC-1)                                | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 129 | SR  | 10918 | Technical Operator (Drilling) | Central Ground Water Board          | Matriculation | 23 [(UR-19, OBC-4), (ExS-2)]             | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |
| 130 | WR  | 10418 | Technical Operator (Drilling) | Central Ground Water Board, Pune    | Matriculation | 51 (UR-37, SC-2, ST-1, OBC-11), (ExS-5)] | PB-1 (Rs. 5200-20200/-) + GP Rs. 1900 |